

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांकB/ 51 20...../

जबलपुर, दिनांक 29/9 /2018

दो-14-78/18

श्रीमती श्वेता गुप्ता, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ-ग्वालियर को दिनांक 13.06.17 से 31.07.17 तक 49 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 01.08.17 से 27.01.18 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

**माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार**

सही/-
(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

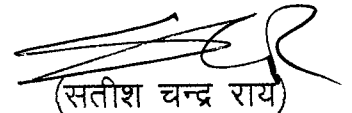
पृष्ठांकन क्रमांकB/ 51 21...../

जबलपुर, दिनांक 29/9 /2018

दो-14-78/18

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 4161/स्था. ग्वालियर, दिनांक 31.07.18 के संदर्भ में श्रीमती श्वेता गुप्ता, सहायक ग्रेड-तीन का आवेदन पत्र, अवकाश लेखा मूलतः एवं सहपत्रों सहित वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. असि. रजिस्ट्रार (स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
